

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
सं. 03/SBM-01-03/2018 153
अधिसूचना सं०-न०वि०/एस०बी०एम०/SWM/SLAB-01/2018

पटना दिनांक-24/01/18

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना अंतर्गत SWM Rule-2016 का क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र: असाधारण भाग-II खंड-03(II) अधिसूचना सं० S.O 1357(E) दिनांक-08.04.16 के द्वारा अधिसूचित SWM Rule 2016 के नियम 23 में अंकित प्रावधानों के तहत SLAB का गठन किया जाना प्रावधानित है। उक्त के आलोक में बिहार राज्य अंतर्गत State Level Advisory Body (SLAB) का गठन, निम्न रूप से किया जाता है:-

क्र.सं.	पदनाम	सदस्य
1	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष
2	प्रतिनिधि, पंचायती राज्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग (जो संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून न हो), बिहार सरकार	सदस्य
3	प्रतिनिधि, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
4	प्रतिनिधि, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
5	प्रतिनिधि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6	प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
7	प्रतिनिधि, केन्द्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, भारत सरकार	सदस्य
8	प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, बिहार सरकार	सदस्य
9	प्रतिनिधि, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	सदस्य
10	चीफ टाउन प्लानर/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
11	नगर निकायों से तीन प्रतिनिधि (चक्रीय पद्धति)	सदस्य
12	नगर निकायों से दो प्रतिनिधि, जनगणना शहर (चक्रीय पद्धति)	सदस्य
13	प्रतिनिधि, सेन्टर ऑफ साइंस एवं इन्वायरमेंट दिल्ली	सदस्य
14	डायरेक्टर, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	सदस्य
15	डिप्टी डायरेक्टर, कृषि विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
16	सचिव, हरित रिसाईकलर एसोसिएशन	सदस्य
17	प्रतिनिधि, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
18	प्रोजेक्ट मैनेजर, स्वच्छ भारत मिशन /SWM Expert (SPMU)	सदस्य

- गठित SLAB का बैठक प्रत्येक 6 माह में एक बार अवश्य किया जायेगा।
- गठित SLAB, SWM Rule, 2016 के क्रियान्वयन एवं ठोस कचरा प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की कार्य नीति तैयार कराने के लिए राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा प्रेषित करेगी।
- SLAB की समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना को अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जायेगा।

विश्वनाथभाजन,
24/1/2018
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:- 03/SBM-01-03/2018 153 दिनांक- 24/01/18

प्रतिलिपि:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/सभी संबंधित विभाग, बिहार के विभागाध्यक्ष/सभी नगर निगम/सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत, बिहार/IT Manager नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/1/2018
प्रधान सचिव।